Hindi Update on Eway Bill

COVID-19 की अवधि के दौरान सीबीआईसी द्वारा एक नोटिफिकेशन नंबर 35/2020-Central Tax दिनांक 03.04.2020 जारी किया उसमें नियम 138 of CGST के तहत जारी होने वाले Eway Bill कीअवधि दिनांक 20.03 2020 से 15.04.2020 के मध्य जारी होने वाले ई वे बिल की validity पीरियड 30.04.2020 कर दी गई थी। उसके पश्चात lockdown पीरियड को 3 मई तक बढ़ा दिया गया। अभी भी लॉक डाउन पूरी तरह खुला नहीं है। परंतु दिनांक 20.03.2020 से 03.05.2020 के मध्य जारी हुए Eway Bill से अब Goods का transportation अभी तक नहीं हुआ है। माल रास्ते में ही रुका हुआ था। व्यापारी लोग भी उसको extend नहीं कर पाए क्योंकि वह भी lockdown के कारण ऑफिस या फैक्ट्री नहीं जा पाए और ना ही उनका staff भी आ पाया। अब lockdown आंशिक रूप से खुलने पर गुड्स गंतव्य स्थान के लिए transport होने हैं परंतु ई वे बिल expire हो चुका है। ऐसी स्थिति में माल का आवागमन किस प्रकार से होगा यह एक बहुत बड़ा होता है। इस को उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं :

Example

Invoice No. 001 Dated 20.03.2020

Supplier : X (Kanpur)

Recipient : Y (Jodhpur)

माना कि Lockdown पीरियड में ट्रक दिनांक 23.03.2020 को जयपुर में खड़ा था जबकि उसको जोधपुर में माल डिलीवरी करनी थी| सरकार द्वारा Lockdown दिनांक 03.05.2020 को खत्म किया गया| यदि उपरोक्त उपरोक्त माल को ड्राइवर दिनांक 3:05 2020 को जयपुर से रवाना होकर जोधपुर के लिए निकलता है तो उस स्थिति में उसके साथ valid Eway Bill नहीं होगा | पुराने ई वे बिल की वैलिडिटी दिनांक 30.04.2020 को ही खत्म हो चुकी है| अत: उपरोक्त माल रद्द हुए ई-वे बिल के साथ जाएगा तो section 129 मैं उसके सीज होने की प्रबल संभावना है।

इस स्थिति में व्यापारियों के पास दो ही options रहते हैं। या तो वह पुराने बिल व ई वे बिल का क्रेडिट नोट issue करके इसको कैंसिल करें तथा नया बिल जारी करें। नए बिल के हिसाब से नया ई वे बिल भी जारी करना होगा परंतु उसमें गुड्स को उठाने का स्थान जहां तक goods पहुंच गए हैं वहां का लिखना होगा। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में जयपुर लिखना होगा। परंतु यह नया बिल व ई वे बिल ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचाना एक चुनौती होगी।

दूसरा option यह है कि डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखा जाए जिसमें इस पूरी स्थिति का विवरण दिया जाए। इसके साथ ही एक नया ई वे बिल भी जारी कर दिया जाए। परंतु इसमें एक दिक्कत है कि पुराने बिल के साथ वह नया ई वे बिल नहीं लेता है।

दोनों ही स्थितियों में दिक्कत ही आ रही है अतः इन ई वे बिल की तारीख बढ़ा दी जानी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे व्यापारिक संगठनों ने सरकार को प्रतिवेदन पहले ही भेज दिए गए हैं। सरकार से अनुरोध करते हैं कि ई वे बिल की अवधि 30.04 2020 से बढ़ाकर 31.05 2020 कर दी जाए ताकि माल के आवागमन में सप्लायर, ट्रांसपोर्टर एवं ट्रक मालिक आसानी से पुराने Eway से माल supply कर सके| अन्यथा सप्लायर को माल पहुंचाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है| सरकार ने इस गंभीर स्थिति में काफी सारी relaxations देकर व्यापारियों की काफी सहायता की है। हमें पूरी आशा कि नहीं अपितु विश्वास है कि सरकार ई वे बिल की time limit बढ़ाकर व्यापारियों की दिक्कतों का समाधान करेगी। इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों को भी इस मुश्किल घड़ी में इस genuine problem की घड़ी में किसी भी तरह का harsh action ना लेते हुए उद्योग जगत की मदद करनी चाहिए।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/ as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.